

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई०ए०एस०

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 37/2019

प्रार्थी-

बनाम

अप्रार्थीगण-

दुर्गाराम पुत्र भोपाराम के का०मु०
1/1 मूलाराम गोदपुत्र दुर्गाराम
जाति जाट निवासी बुधरोणी हुडो
की ढाणी तहसील सिणधरी, जिला
बाड़मेर
1/2 चम्पादेवी पत्नी स्व. दुर्गाराम
जाट निवासी बुधरोणी हुडो की
ढाणी तहसील सिणधरी, जिला
बाड़मेर

1. भीयाराम पुत्र रावताराम के का०मु०
1/1 तोगाराम पुत्र स्व. भीयाराम
1/2 दुर्गाराम पुत्र स्व. भीयाराम
1/3 बाबुलाल पुत्र स्व. भीयाराम
1/4 ओमप्रकाश पुत्र स्व. भीयाराम
1/5 थानाराम पुत्र स्व. भीयाराम
जाति सोनी निवासी निम्बलकोट
1/6 सजियों देवी पत्नी स्व. भीयाराम
जाति सोनी निवासी निम्बलकोट
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
2. बाबुलाल पुत्र भीयाराम जाति सोनी
निवासी निम्बलकोट तहसील सिणधरी
जिला बाड़मेर
3. पारसमल पुत्र रिखबचंद जाति
ओसवाल निवासी कनाना, तहसील
पचपदरा जिला बाड़मेर
4. ग्राम पंचायत निम्बलकोट तहसील
सिणधरी जरिये सरपंच



निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज
अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 06 दिनांक 07.06.1971 जो
ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा जारी किया गया।


जिला कलक्टर
बाड़मेर



उपस्थिति :-

1. श्री लाधुराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/6 व 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 4 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 24.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत निम्बलकोट की ओर से अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 07.06.1971 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा श्री पारसमल पुत्र रकबचंद निवासी निम्बलकोट के पक्ष में राज0 पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के अधीन ग्राम निम्बलकोट में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 06 दिनांक 07.06.1971 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 1650 वर्गगज दर्शाया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने में घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत निम्बलकोट का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा कार्यालय पत्र क्रमांक 105 दिनांक 18.07.2024 द्वारा लिखित में प्रकट किया गया कि ग्राम पंचायत निम्बलकोट के रेकॉर्ड में इस पट्टे की मिसल व ग्राम सभा रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने से उपरोक्त रेकॉर्ड दिया जाना संभव नहीं है।




जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि स्वीकृत खेत खसरा नम्बर 177 तहसील सिणधरी में स्थित है, जिसका राजस्व अभिलेख उतरदाता संख्या 04 तहसीलदार सिणधरी के आधिपत्य में है, तथा कथित मूल पट्टा बालक पारसमल द्वारा दिनांक 7.06.1971 उतरदाता संख्या 04 उप-पंजीयक तहसीलदार सिणधरी के भौतिक आधिपत्य में दिनांक 19.07.2006 से है, जिस रोज पारसमल द्वारा बेचान बहक भीयाराम पंजीबद्ध करवाया था। उक्त पट्टा उप-पंजीयक सिणधरी के आधिपत्य में होने का शपथ-पत्र प्रथम उतरदाता भीयाराम ने दिनांक 19.09.2017 का सिविल वाद संख्या 53/2006 में प्रकट किया कि असल पट्टा उप-पंजीयक सिणधरी से तलब किया जाए, परन्तु आज तक सिविल वाद एवं मौजूदा निगरानी में भीयाराम व बाबुलाल द्वारा असल पट्टा ना तो तलब किया गया, और न ही सिविल वाद में सिविल वाद में उप-पंजीयक सिणधरी के उस कर्मचारी को तलब करवाया गया, जिससे कथित रूप से पांच फर्जी पट्टे की सत्यप्रतियां तैयार कर भीयाराम को सुपुर्द की थी। उक्त वाद में उत्तर दिनांक 20.11.2018 में अंकित किया कि पारसमल का पट्टा क्रमांक 6 दिनांक 07.06.1971 की सही प्रतिलिपी उप-पंजीयक सिणधरी से प्राप्त कर भीयाराम द्वारा न्यायालय में पेश की जा चुकी है, तथा प्रतिवादी (दुर्गाराम) भी उक्त पट्टे की सही प्रतिलिपी उप-पंजीयक सिणधरी से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उतरदाता संख्या 01 से 3 के व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार कथित असल पट्टा दिनांक 07.06.1971 अस्तित्व में होकर उतरदाता संख्या 04 उप-पंजीयक सिणधरी के भौतिक आधिपत्य में है, मगर स्वीकृत रूप से भीयाराम व बाबुलाल कथित मूल पट्टे को तलब करवाकर सिविल/राजस्व कार्यवाही में प्रस्तुत नहीं करवाना चाहते हैं। अतः धारा 144 (जी) साक्ष्य अधिनियम के अनुरूप विपरीत उप-धारणा माननीय निगरानी न्यायालय में अपेक्षित है। उक्त तथाकथित पट्टा बालक पारसमल दिनांक 7.6.1971 के अनुसार महाजन जाति के धनाढ्य व्यक्ति होते हुए भी 14850 वर्गफुट के इतने बड़े भूखण्ड के चारों ओर चार दिवारी का निर्माण नहीं करवा सके, बल्कि पंजीकृत बैचान दिनांक 19.07.2006 में विक्रेता पारसमल ने अंकित किया है कि उक्त भूखण्ड में



जिला कलक्टर
बाडमेर

किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है। अतः पारसमल द्वारा 36 साल के लंबे अरसे तक कोई निर्माण रिहाईश हेतु नहीं करवाया गया। इस प्रकार राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नम्बर 177 में बालक पारसमल का पुश्तैनी कब्जा व रिहाईश होना असंभव है, जिस बाबत राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियमए 1961 का नियम 266 निम्न प्रकार है।

"Rule 266-- Transfer fo Abadi Land by Private Negotiation: -(1) The PancEyat may transfer any Abadi Land by way fo Sale or by private negotiation in following csaes:

"Where any person E a plausible claim fo the title to the land and auction may not fetch resaonable price"क

इस साथ ही तथाकथित फोटोप्रति पट्टा दिनांक 07.06.1971 में दी गयी सीमाएँ व क्षेत्रफल मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति के अनुसार झूठी एवं कूटरचित है, क्योंकि सिविल विविध संख्या 53/2006 में प्रस्तुत रिपोर्ट कमिश्नर दिनांक 14.10.2006 में भूखण्ड भीयाराम का मुख्य गेट दिशा पूर्व में बताया गया है, जबकि फोटो प्रति पट्टा दिनांक 07.06.1971 में भूखण्ड का दरवाजा दिशा दक्षिण में बताया गया है। भूखण्ड भीयाराम की पूर्वी भुजा रिपोर्ट कमिश्नर के अनुसार मात्र 167.5 फुट लंबी है जबकि फोटो प्रति पट्टा दिनांक 07.06.1971 के अनसार पूर्वी भुजा 225 फीट की बताई गयी। इसी प्रकार नक्शा मौका दिनांक 02.09.1971 जो थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने प्रथम सूचना संख्या 82 दिनांक 09.6.1971 की तफतीश में बनाया उसके अनुसार भी विवादित पट्टा दिनांक 7.6.1971 में दी गयी सीमाएँ व क्षेत्रफल मेल नहीं खाती है। विपक्षीगण द्वारा पट्टा दुर्गाराम दिनांक 31.5.1987 को गलत व फर्जी होना निगरानी संख्या 5/2017 में बताया गया है। अतः उसी पट्टा दुर्गाराम में अंकित तथ्यों का सहारा विपक्षी द्वारा approbate and reprobate के सिद्धांत के आधार पर नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत निम्बलकोट ने उक्त पट्टा जारी करने में विधिक प्रावधानों की अनदेखी की है। ऐसी स्थिति में पट्टा संख्या 06 निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बाद जांच विवादित पट्टा सं. 06 दिनांक 07.06.1971 को प्रभावहीन एवं शुन्य घोषित करते हुए निरस्त फरमाया जावे।




जिला कलकटर
बाड़मेर

5. अप्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि निगरानी आवेदन का पद सख्या 1 यथा तात्पर्य वर्णितानुसार सही न होने से अस्वीकार है। प्रत्युतर यह है कि निगरानीकर्ता द्वारा इस पद में उल्लेखित तथ्य इस सीमा तक सही है कि अप्रार्थी भीयाराम (अब फौत) द्वारा जरिये रजिस्ट्रकृत बेचान पत्र दिनांक 19.07.2006 को वादग्रस्त भूखण्ड परिसर पूर्व पट्टाधारी पारसमल से क्रय कर वादग्रस्त परिसर का कब्जा प्राप्त किया है। ज्ञात रहे उक्त विक्रेता पारसमल (विप्रार्थी सख्या 3) के पक्ष में तत्कालीन नियमानुसार विवेच्य पट्टा क्रमांक दिनांक 07.06.1971 ग्राम पंचायत निम्बलकोट (विप्रार्थी सख्या 4) द्वारा जारी किया गया है। एवं उक्त पट्टा वक्त रजिस्ट्री वर्ष 2006 में उपपंजियक के कार्यालय में जमा करवाया गया था। इस पद में अंकित शेष विवरण यथा भूखण्ड विक्रेता आदि से संबंधित कथन सही न होने से माने जाने योग्य है। निगरानी के पद सख्या 2 में उल्लेखित विवरण का जबाब अपेक्षित नहीं हैं क्योंकि विवेच्य पट्टे का उपपंजियक के यहां जमा होने का तथ्य सही है। इसके साथ ही निगरानी का पद सख्या 3 यथा अंकित सही न होने से एवं मनघडन्त व कयासी होने से अस्वीकार है जबाब यह है कि अप्रार्थी सख्या 4 ग्राम पंचायत ने तत्समय अप्रार्थी सख्या 3 पारसमल को मालिकाना हक के कब्जे के आधार पर ही विवेच्य पट्टा सख्या 6 प्रदान किया है जैसा कि तत्कालीन नियम 1961 में प्रावधान है और ऐसे पट्टा शुदा कब्जे का हस्तांतरण 19.07.2006 को जरिये रजिस्ट्रीकृत विक्रय पत्र अप्रार्थी सख्या 1 भीयाराम को किया गया है एवं अब उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी अप्रार्थी पक्ष में निहित हुआ है जो पूर्णरूप से विधि अनुसार न्यायोचित है। आवेदन का पद सख्या 4 भी यथा अंकित सही न होने से अस्वीकार है प्रत्युतर यह है कि इस पद में अंकित वादग्रस्त भूखण्ड की वर्तमान स्थिति नाप व पडोस से संबंधित विवरण हस्तगत पंचायत निगरानी अधीन पट्टे की वैधता से सुसंगत नहीं है। ज्ञात रहे लम्बे कालान्तर से ग्राम आबादी के विस्तार एवं नये रास्तों के निर्धारण से पचास वर्ष पूर्व पट्टों में अंकित नाम व पडौस में कदाचित अन्तर आ सकते हैं या दिशा भ्रम हो सकते हैं ऐसी दशा में निगरानीकर्ता द्वारा पट्टे में अंकित सीमाओं को उल्लेखित कर पट्टे को कूटरचित कहना औचित्यहीन है। बल्कि पद



जिला कलेक्टर
बाइमेर

में स्वयं प्रार्थी द्वारा उल्लेखित निगरानी कर्ता दुर्गाराम के नाम से पट्टा (दिनांक 31.05.1987) में पडौस के रूप में अंकित मीठालाल/पारसमल के नाम लिखे जाने से विप्रार्थी के 1971 के पट्टे की पुष्टी होती है। ज्ञात रहे प्रार्थी दुर्गाराम जो सरपंच हिमथाराम का सगा भाई था, ने गलत एवं अवैध तरीके से अपने पक्ष में एक पट्टा संख्या शुन्य दिनांक 31.05.1987 विप्रार्थी संख्या 3 पारसमल को जारी 1971 के पट्टे की भूमि जो 2006 में भीयाराम ने रजिस्ट्री के क्रय की है को ओवरलेप करके जारी करवाया है। जिसे खारिज करवाने हेतु विप्रार्थी संख्या 1 भीयाराम द्वारा श्रीमान के समक्ष एक निगरानी संख्या 5/2017 प्रस्तुत की गई थी किन्तु दिनांक 08.01.2020 को अस्वीकार किये जाने पर तत्समय ही भीयाराम की और से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एक याचिका संख्या 1180/2020 पेश की गई है जो विचाराधीन है तथा दिनांक 28.01.2020 को माननीय उच्च न्यायालय ने वादग्रस्त भूखण्ड के स्वामित्व एवं निर्माण के संबंध में तथा स्थिति बनाये रखने जाने का स्थगन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थी पारसमल के पट्टे की जमीन जो अब 2006 से भीयाराम के स्वामित्व एवं अधिपत्य में है ऐसे पट्टे को हस्तगत निगरानी प्रस्तुत करने से प्रार्थी दुर्गाराम विधिपूर्वक बिबंधित है। इसलिये यह निगरानी निरस्तनीय है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने के साथ ही सारहीन एवं आधारहीन होने से मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थी ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा श्री पारसमल पुत्र रकबचंद निवासी निम्बलकोट के पक्ष में राज0 पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के अधीन ग्राम निम्बलकोट में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 06 दिनांक 07.06.1971 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाम एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 1650 वर्गगज दर्शाया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने में घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता,



अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह प्रकट किया है कि उप-पंजीयक सिणधरी से मूल पट्टे को तलब किया जावे जबकि निगरानी प्रार्थना-पत्र में केवल पट्टे से संबंधित की गई प्रक्रिया की अवैधानिकता एवं अनियमितता के बारे में परीक्षण किया जाना आवश्यक है। इसके विपरीत ग्राम पंचायत के द्वारा जारी उक्त पट्टे से सम्बन्धित रिकॉर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता है तथा इसके अभाव में इसके जारी करने में किसी प्रकार की अवैधता अथवा अनियमितता की जांच संभव नहीं है। उभय पक्षकारान के द्वारा प्रकट तथ्यों के अनुसार विवादित भूखण्ड को लेकर सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं, ऐसे में दोनो ही पक्ष अपने-अपने स्वत्व अधिकारों का सिविल न्यायालय में ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर निर्धारण करावें। आलौच्य पट्टे से सम्बन्धित पत्रावली ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा आलौच्य पट्टे एवं ग्राम पंचायत की कार्यवाही पर अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता हुई है अथवा नहीं, कोई निर्णय दिया जाना संभव नहीं होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(टीना डबी)
जिला कलेक्टर, बाडमेर
बाडमेर